धारा 6ए प्रकरण संख्या – 194 / 2025
(GCMS 2025/296)

# कार्यालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

धारा 6ए प्रकरण संख्या – 194 / 2025 (GCMS 2025/296)

**सरकार जरिये विकास कुमार, बीज निरीक्षक एवं कृषि अधिकारी (मिशन) कार्यालय संयुक्त निदेशक कृषि (वि.), जिला परिषद, श्रीगंगानगर**

**बनाम**

1. **मैसर्स ओरा हाईब्रिड सीड्स,** इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड, ई–176 फेज–प्रथम, रिको इण्डस्ट्रीज ऐरिया, श्रीगंगानगर
2. **श्री हिमांशु भड़ाना** पुत्र श्री कर्मवीर भड़ाना निवासी मकान नं. 25 न्यू अग्रसेन नगर, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

## आदेश

**04.08.2025**

**पत्रावली पेश हुई।** विभागीय प्रतिनिधि श्री विकास कुमार, बीज निरीक्षक एवं अप्रार्थी हिमांशु भड़ाना की ओर से अधिकृत उनके पिता श्री कर्मवीर भड़ाना उपस्थित हुए। उभयपक्ष को दिनांक 30.07.2025 को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

**प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है:**

दिनांक 03.06.2025 को बीज व्यवसाय संबधित प्रतिष्ठानों का निरीक्षण करने हेतु विभागीय प्रतिनिधि श्री विकास कुमार मय सहयोगी के मैसर्स ओरा हाईब्रिड सीड्स, इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड, ई–176 फेज प्रथम रिको इण्डस्ट्रीज़ ऐरिया श्रीगंगानगर पहुंचे। वहां पर फर्म के प्रतिनिधि श्री कर्मवीर सिह पुत्र रिड़का सिंह उपस्थित मिले। जिनमें फर्म का लाईसेंस, बीज स्टॉक रजिस्टर तथा फर्म के समस्त दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु कहा गया। फर्म के प्रतिनिधि द्वारा अनुज्ञा पत्र संख्या 3555 जो कि दिनांक 06.08.2020 को जारी किया हुआ तथा वैद्यता दिनांक 05.08.2025 तक है, जिसमें फर्म का पता चक 1 ए छोटी प्रथम मंजिल, धानमंडी रोड़ शिव चौक, श्रीगंगागनर एवं गोदाम का पता ए–7 इण्डट्रीयल एस्टेट, पुलिस लाईन के सामने, श्रीगंगानगर था जबकि उक्त फर्म द्वारा अपना कारोबार ई–176 फेज – प्रथम रिको इण्डस्ट्रीज ऐरिया, श्रीगंगानगर पर **अवै[illegible] भण्डारित व पैकेजिंग किया जा रहा था, जिसकी [illegible] नहीं ली गई।** फर्म के मालिक द्वारा **मासिक [illegible]** पर प्रस्तुत नहीं किया गया। डीलर के द्वारा सभी बीजों का **स्टॉक खु[illegible] व बंद होने की सूचना पट्ट पर प्रदर्शन नहीं** किया जा रहा था। फर्म द्वारा **सभी बीजों की रेट लिस्ट सूचना पट्ट पर प्रदर्शित नहीं** किया जा रहा था। इसलिए विभागीय प्रतिनिधि

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.08.07 16:27:51 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

द्वारा सीजशुदा विभिन्न फसलों के बीज व सब्जियों के 95.63 क्विंटल बीज को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत राजसात करने की प्रार्थना की है।

**विभागीय प्रतिनिधि श्री विकास कुमार, बीज निरीक्षक ने कथन किया कि** वे दिनांक 03.06.2025 अपने सहयोगी श्री मोहित कुमार कृषि अधिकारी साथ मैसर्स ओरा हाईब्रिड सीड्स, इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड, ई–176 फेज–प्रथम रिको इण्डस्ट्रीज ऐरिया, श्रीगंगानगर पर पहुंचे। वहां पर उक्त फर्म के प्रतिनिधि श्री कर्मवीर सिंह पुत्र रिडका सिंह मौके पर मौजूद मिले।

**उनका आगे यह भी कथन है कि** फर्म के प्रतिनिधि से फर्म का लाईसेंस, बीज स्टॉक रजिस्टर तथा फर्म के समस्त दस्तावेज प्रस्तुत करने का अनुरोध किया। फर्म के प्रतिनिधि द्वारा फर्म का अनुज्ञा पत्र संख्या 3555 जो कि दिनांक 06.08.2020 का जारी किया हुआ तथा वैधता दिनांक 05.08.2025 तक है। जिसमें फर्म का पता चक 1 ए छोटी प्रथम मंजिल, धानमण्डी रोड़ शिव चौक, श्रीगंगानगर में गोदाम का पता ए–7 इण्डस्ट्रीयल एस्टेट, पुलिस लाईन के सामने, श्रीगंगानगर था, जबकि उक्त फर्म द्वारा अपना कारोबार ई–176 फेज–प्रथम रिको इण्डस्ट्रीज ऐरिया, श्रीगंगानगर पर अवैद्य रूप से भण्डारित व पैकेजिंग किया जा रहा था।

**उनका आगे यह भी कथन है कि** उक्त फर्म द्वारा बीज व्यवसाय का लेखा संधारित नहीं किया जा रहा था, न ही मांगने पर स्टॉक रजिस्टर उपलब्ध करवाया गया। इसके साथ ही फर्म के वितरक / निर्माणकर्ता द्वारा मूल्य सूची प्रदर्शित नही पायी गयी। उक्त फर्म के प्रतिनिधि द्वारा रैन्ट एग्रीमेन्ट उपलब्ध करवाया गया, जिसका अवलोकन करने पर उक्त फर्म द्वारा व्यवसाय / कारोबार का स्थान ई–176 फेज–प्रथम रिको इण्डस्ट्रीज ऐरिया, श्रीगंगानगर पर अवैद्य रूप से भण्डारित व पैकेजिंग किया जा रहा था। फर्म द्वारा उक्त स्थान ई–176 फेज–प्रथम रिको इण्डस्ट्रीज ऐरिया, श्रीगंगानगर पर बिना लाईसेंस लिए अ[illegible]ण व बीजों की पैकेजिंग की जा रही थी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.08.07 16:27:51 IST
Reason: SelfAttested

**उनका आगे यह भी [illegible]** द्वारा मासिक रिटर्न का फार्म सी माँगने पर प्रस्तुत नहीं किया गया तथ[illegible]डीलर के द्वारा सभी बीजो का स्टाक खुलने व बंद होने का सूचना पट्ट पर प्रदर्शन नहीं किया जा रहा था। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि **बीज नियंत्रण आदेश 1983 की धारा 18(1)(2) की स्पष्ट उल्लंघन है।**

Manju
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

**उनका आगे यह भी कथन** है कि फर्म द्वारा सभी बीजो की रेट लिस्ट सूचना पट्ट पर प्रर्दशित नही किया जा रहा था, जो कि **बीज (नियंत्रण) आदेश 1983 की धारा 8 का उल्लंघन** है।

**उनका आगे यह भी कथन है कि** फर्म के प्रतिनिधि द्वारा फर्म का अनुज्ञा पत्र संख्या 3555 जो कि दिनांक 06.08.2020 का जारी किया हुआ तथा दिनांक 05.08.2025 तक वैध है। जिसमें फर्म का पता चक 1 ए छोटी प्रथम मंजिल, धानमण्डी रोड़ शिव चौक, श्रीगंगानगर में गोदाम का पता ए–7 इण्डस्ट्रीयल एस्टेट, पुलिस लाईन के सामने, श्रीगंगानगर था, जबकि उक्त फर्म द्वारा अपना कारोबार ई–176 फेज–प्रथम रिको इण्डस्ट्रीज ऐरिया, श्रीगंगानगर पर अवैध रूप से भण्डारित व पैकेजिंग किया जा रहा था। जो कि **बीज नियत्रण आदेश 1983 की धारा 6 व 3 का स्पष्ट रूप से उल्लंघन** है।

**उनका आगे यह भी कथन है** कि फर्म द्वारा बीज नियंत्रण आदेश 1983 की विभिन्न धाराओं का स्पष्ट अवहेलना के कारण फर्म द्वारा विभिन्न फसलों व सब्जियों के बीजों, पैकेजिंग सामग्री को जब्त (सीज) करते हुए पूरे गोदाम में ताला लगाकर चपडी से सील कर दिया गया तथा इसके साथ ही फर्द जाब्ता तलाशी, मौका नक्शा, शपथ पत्र, फर्द जब्ती, सुपुर्दगी पत्र तैयार किया गया।

**उनका आगे यह भी कथन है** कि उक्त फर्म द्वारा बीज (नियंत्रण) आदेश 1983 की अवहेलना करने के कारण, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर सीजशुदा विभिन्न फसलों के बीज व सब्जियों के 95.63 क्विंटल बीज जब्त किया गया, को राजसात करने की प्रार्थना की है।

**इसके विपरीत अप्रार्थी हिमांशु भड़ाना के पिता एवं फर्म के निदेशक श्री कर्मवीर भड़ाना (अप्रार्थी हिमांशु भडाना द्वारा अधिकृत) ने कथन किया कि** मैसर्स ओरा हाईब्रिड सीड्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड, कृषि विभाग से बीज की अनुज्ञाधारी एजेंसी है। फर्म का अनुज्ञा पत्र दिनांक 05.08.2025 तक नवीनीकृत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.08.07 16:27:51 IST
Reason: SelfAttested

**उनका आगे यह भी कथन है कि** कृषि विभाग द्वारा फर्म की जो भी कमियां बताई गई, उन्हें पूर्ण कर लिया जायेगा। उनके द्वारा बीज नियंत्रण आदेश 1983 के किसी भी प्रावधान की जानबूझकर कोई उल्लंधना नहीं की है और न ही उनकी किसी प्रकार से कोई बदनियती है। इसलिए बीज

निरीक्षक द्वारा जब्तुशदा 95.63 क्विंटल फसलों एवं सब्जियों के बीज को उन्हें लौटाने की प्रार्थना की है।

**मैनें, उभयपक्ष के तर्कों पर मनन एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि** अप्रार्थीगण फर्म मैसर्स ओरा हाईब्रिड सीड्स का अनुज्ञा पत्र संख्या 3555 दिनांक 06.08.2020 का जारी किया हुआ है तथा वैद्यता दिनांक 05.08.2025 तक है, जिसमें फर्म का पता चक 1 ए छोटी, प्रथम मंजिल, धानमण्डी रोड़ शिव चौक, श्रीगंगानगर एवं गोदाम का पता ए–7 इण्डस्ट्रीयल एस्टेट, पुलिस लाईन के सामने श्रीगंगानगर था जबकि **उक्त फर्म द्वारा अपना कारोबार ई–176 फेज–प्रथम, रिको इण्डस्ट्रीज ऐरिया, श्रीगंगानगर पर अवैध रूप से भण्डारित एवं पैकेजिंग का कार्य किया जा रहा था।** जो कि बीज नियन्त्रण आदेश 1983 की धारा 6 व 3 की उल्लंघना है। फर्म द्वारा मासिक रिटर्न का **फार्म सी मांगने पर प्रस्तुत नहीं किया गया** तथा डीलर के द्वारा सभी बीजों का **स्टॉक खुलने व बंद होने की सूचना पट्ट पर प्रदर्शन नहीं** किया जा रहा था जो **बीज नियंत्रण आदेश 1983 की धारा 18(1)(2) की उल्लघंना** है। फर्म द्वारा **बीजों की रेट लिस्ट सूचना पट्ट पर प्रदर्शित नहीं किया** जा रहा था जो कि बीज नियंत्रण आदेश 1983 की धारा 8 की उल्लंघना है। इस प्रकार फर्म द्वारा बीज नियंत्रण आदेश 1983 की उल्लंघना करने के कारण जब्तशुदा 95.63 क्विंटल फसलों एवं सब्जियों के बीज को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 के तहत राजसात करने की प्रार्थना की गयी है।

**इस तथ्य को सिद्ध करने** का भार आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 14 के तहत अप्रार्थीगण पर है कि उनके द्वारा बीज नियन्त्रण आदेश 1983 के प्रावधानों की कोई अवहेलना नही की है। आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 14 निम्न प्रकार से हैः

> "जहां कोई व्यक्ति धारा 3 के अधीन किये गये किसी ऐसे आदेश का उल्लंघन [illegible] जाता है उसे विधिपूर्ण प्राधि[illegible] अनुज्ञापत्र, अनुज्ञप्ति या अन्य [illegible] करने से या किसी चीज को कब्जे में रखने से प्रति[illegible] करता है, वहां यह साबित करने का भार कि उसके पास ऐसा प्राधिकार, अनुज्ञापत्र, अनुज्ञप्ति या अन्य दस्तावेज है उसी पर होगा।"

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.08.07 16:27:51 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

**आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955** की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बीज नियन्त्रण आदेश 1983 जारी किये गये है, **इसलिए बीज नियन्त्रण आदेश 1983 की अवहेलना** पर इस न्यायालय द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत जब्तुशदा बीजों के सम्बन्ध में राजसात की कार्यवाही की जा सकती है।

**अप्रार्थी फर्म मैसर्स ओरा हाईब्रिड सीड्स पर आरोप है** कि उसके द्वारा मासिक रिर्टन का फार्म सी मांगने पर प्रस्तुत नहीं किया गया तथा डीलर के द्वारा सभी बीजों का स्टॉक खुलने व बंद होने एवं सभी बीजों की रेट लिस्ट सूचना पट्ट पर प्रदर्शन नहीं किया जा रहा था, जो बीज नियंत्रण आदेश 1983 की धारा 18(1)(2) एवं धारा 8 की उल्लंघना है। बीज नियंत्रण आदेश 1983 की धारा 18(1)(2) एवं धारा 8 निम्न प्रकार से अवलोकनीय है:

**18. Maintenance of records and submission of returns, etc. :**

(1) Every dealer shall maintain such books, accounts and records relating to his business as may be directed by the State Government.

(2) Every dealer shall submit monthly return relating to his business for the preceding month in Form 'C' to the licensing authority by the 5th day of every month.

**8. Dealers to display stock and price list**

Every dealer of seeds shall display in his place of business:

(a) the opening and closing stocks, on daily basis, of different seeds held by him;

(b) a list indicating prices or rates of different seeds.

**अप्रार्थी ने मासिक रिटर्न का फार्म** और बीजों का स्टॉक खुलने व बंद होने एवं बीजों की रेट लिस्ट सूचना पट्ट पर प्रदर्शित किया जा रहा हो, ऐसा कोई दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, जो यह साबित करता है कि अप्रार्थी द्वारा बीज नियंत्रण आदेश 1983 धारा **18(1)(2) एवं धारा 8 की अवेहलना नहीं की है।** इसलिए अप्रार्थी का [illegible] बीज नियंत्रण आदेश 1983 धारा 18(1)(2) एवं धारा 8 की [illegible] के कारण उससे जब्तशुदा सामग्री राजसात करने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.08.07 16:27:51 IST
Reason: SelfAttested

**पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के साथ** [illegible]र्थी का अनुज्ञा पत्र संख्या 3555 दिनांक 06.08.2020 की प्रति संलग्न है, जिसमें अप्रार्थी का अनुज्ञा पत्र 05.08.2025 तक वैध है तथा उक्त फर्म का पता चक 1 ए छोटी, प्रथम मंजिल, धानमण्डी रोड, शिव चौक, श्रीगंगानगर एवं गोदाम का पता ए–7

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

इण्डस्ट्रीयल एस्टेट, पुलिस लाईन के सामने, श्रीगंगानगर अंकित है जबकि फर्म द्वारा अपना कारोबार ई–176, फेज प्रथम रिको लाईन के सामने, श्रीगंगानगर पर अवैध रूप से भण्डारित एवं पैकेजिंग किया जा रहा था, जो कि बीज नियन्त्रण आदेश 1983 की धारा 6 व 3 की स्पष्ट उल्लंघना है।

**बीज नियन्त्रण आदेश 1983 की धारा 3 निम्न प्रकार से अवलोकनीय हैः**

> **3. <u>Dealer to obtain licence</u> :**
> (1) **No person shall carry on the business of selling, exporting or importing seeds at any place except under and in accordance with the terms and conditions of licence granted to him under this order.**
> (2) Notwithstanding anything contained in sub-clause (1), the State Government may, by notification in the Official Gazette, exempt from the provisions of that sub-clause such class of dealers in such areas and subject to such conditions as may be specified in the notification.

**पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख के अनुसार** अप्रार्थी मैसर्स ओरा हाईब्रिड सीड्स के पास अनुज्ञा पत्र संख्या 3555 दिनांक 06.08.2020 व्यवसाय के लिए कृषि विभाग से जारी किया गया है, जिसमें कार्यस्थल का पता चक 1 ए छोटी, प्रथम मंजिल, धानमण्डी रोड़, शिव चौक, श्रीगंगानगर एवं गोदाम का पता ए–7 इण्डस्ट्रीयल एस्टेट, पुलिस लाईन के सामने, श्रीगंगानगर दर्ज है। **जिससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी केवल उक्त अनुज्ञापत्र में अंकित स्थल चक 1 ए छोटी, प्रथम मंजिल, धानमण्डी रोड़, शिव चौक, श्रीगंगानगर एवं गोदाम का पता ए–7 इण्डस्ट्रीयल एस्टेट, पुलिस लाईन के सामने, श्रीगंगानगर में बीज विक्रय, आयात, निर्यात करने एवं भण्डारण करने के लिए अधिकृत है न कि ई–176, फेज प्रथम रिको लाईन के सामने, श्रीगंगानगर में कार्य करने के लिए।** चूंकि अप्रार्थीगण के पास चक 1 ए छोटी, प्रथम मंजिल, धानमण्डी रोड़, शिव चौक, श्रीगंगानगर एवं गोदाम [illegible] ए–7 इण्डस्ट्रीयल एस्टेट, पुलिस लाईन के सामने, [illegible] के लिए अनुज्ञापत्र है। **इस अनुज्ञापत्र की शर्त संख्या (iv) [illegible] में संशोधन के लिए बीज नियन्त्रण आदेश 1983 की धारा 17 निम्न प्र[illegible] से हैः**

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.08.07 16:27:51 IST
Reason: Self Attested

> **4. अनुज्ञप्ति का धारक समय–समय पर अुनज्ञापत्र प्राधिकारों को ऐसे परिसरों में किसी परिवर्तन की रिपोर्ट देगा जहां वह बीजों के उक्त प्रयोजनों के लिए विक्रय, निर्यात, आयात का भण्डारण का कारोबार करता है।**

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

**17. Amendment of licence**

The licensing authority may, on receipt of a request in writing together with a fee of rupees ten from a dealer, **amend the licence of such dealer.**

**उक्त विवेचन के आधार पर** अप्रार्थी द्वारा बीज नियन्त्रण आदेश 1983 की धारा 18(1)(2) के अनुसार **मासिक रिर्टन का फार्म सी प्रस्तुत नहीं करने** तथा डीलर के द्वारा सभी **बीजों का स्टॉक खुलने व बंद होने का सूचना पट्ट पर प्रदर्शन नहीं करना,** बीज नियन्त्रण आदेश की धारा 8 के अनुसार सभी **बीजों की रेट लिस्ट सूचना पट्ट पर प्रदर्शन नही करना,** बीज नियंत्रण आदेश की धारा 3– के तहत **अवैध रूप से 95.63 क्विंटल फसलों एवं सब्जियों के बीज भण्डारित एवं पैकेजिंग का कार्य किया जा रहा था।** इसके अतिरिक्त अप्रार्थी द्वारा **अनुज्ञा पत्र की शर्त संख्या (IV) की पालना नहीं की गई है।** जबकि **बीज नियंत्रण आदेश 1983 की धारा 17 में लाईसेंस में सशोधन का प्रावधान भी दिये गये है** इसके बावजूद भी अप्रार्थी द्वारा **अनुज्ञा पत्र में दर्ज पते से अन्यत्र स्थान पर अवैध रूप से 95.63 क्विंटल फसलों एवं सब्जियों के बीज भण्डारण एवं पैकेजिंग का कार्य किया जा रहा था।** इसलिए बीज नियन्त्रण आदेश 1983 के उक्त वर्णित प्रावधानों की उल्लंघना के कारण धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत उक्त जब्तशुदा बीज राजसात करने योग्य ठहरते है।

**अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर** ई–176, फेज प्रथम रिको लाईन के सामने, श्रीगंगानगर के अनाधिकृत पते से अप्रार्थी से जब्त किये गये विभिन्न फसलों व सब्जियों के 95.63 क्विंटल बीज को बीज नियंत्रण आदेश 1983 के प्रावधानों की उल्लंघना के कारण धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत राजसात किया जाता है। पूर्व में **इस न्यायालय द्वारा उक्त जब्तशुदा बीजों का अन्तरिम निस्तारण करने के आदेश विभाग को दिये गये थे। इसलिए उक्त बीज की विक्रय की समस्त राशि स्थाई रूप से राज्यहित में राजकोष में जमा करवाने का आदेश दिया** जाता है। आदेश की प्रति बीज निरीक्षक एवं कृषि अधिकारी (मिशन), कार्यालय संयुक्त निदेशक कृषि (वि.), जिला परिषद्, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवायी जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.08.07 16:27:51 IST
Reason: SelfAttested

**आदेश आज दिनांक 04.08.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।**

(डॉ. मन्जू)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर